

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

बैरक संख्या-11, पुराना सचिवालय, पटना-800015

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 0612-2231562, वेबसाइट : www.bsea.bih.nic.in

सं.सं.-नि.प्रा./नि. 1-62/2009 366

/पटना, दिनांक 18 मई, 2009

प्रेषक,

एन० एस० माधवन

मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(स०स०)।

सभी नोडल पदाधिकारी।

सभी अनुमंडल पदाधिकारी-उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी-उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचलाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (पैक्स)।

विषय : पैक्स निर्वाचन : मतदान केन्द्र के निकट शस्त्र धारित करने पर प्रतिबंध।

महाशय,

सभी संबंधित का ध्यान बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 6(14) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसका संगत अवतरण निम्नवत है :

“मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध : (i) मतदान केन्द्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र में कर्तव्य पर है, के अलावा कोई भी व्यक्ति, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं० 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के शस्त्र लेकर नहीं जाएगा।

(ii) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(iii) आयुध अधिनियम, 1959(1959 का सं० 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्धदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथापरिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत प्रतिसंहरित माना जाएगा।

(iv) खंड (ii) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।”

2. उक्त धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्पष्ट रूप से अनुमत व्यक्तियों को छोड़कर, कोई अन्य व्यक्ति न तो शस्त्र रखेगा, न ही मतदान केन्द्रों या उसके आस पास (मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत) पर उनका प्रदर्शन करेगा, ताकि निर्वाचन का संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से कराया जा सके तथा शस्त्रों के प्रदर्शन अथवा उनके आधिक्य के कारण कोई मतदाता डर कर या घबराकर मतदान करने से विरत न हो जाए।

3. ऐसा देखा जाता है कि मतदान के समय अभ्यर्थियों और/अथवा उनके समर्थकों, जिन्हें राज्य प्राधिकारियों से सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराए गए हैं, मतदान केन्द्रों में अथवा उसके आसपास, वैसे सुरक्षा कर्मियों को साथ लेकर चले जाते हैं। यह उप धारा (14) में विहित प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अतः प्राधिकार द्वारा निदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे किसी भी स्रोत से सुरक्षा मुहैया कराई गई हो, किसी मतदान केन्द्र में तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में वैसे सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रवेश नहीं करेगा। निर्वाचन के प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि उक्त धारा के प्रावधानों का अनुपालन सख्तीपूर्वक किया जाए तथा वैसे व्यक्ति (अभ्यर्थी, उनके अभिकर्ता, कार्यकर्ता, समर्थक या कोई मतदाता भी) को मतदान केन्द्र में या उसके समीप जाने की अनुमति नहीं दी जाए। यही प्रतिबंध मतगणना केन्द्र में अथवा उसके आस-पास प्रवेश के संबंध में भी लागू होंगे। कई अभ्यर्थी अपना चुनाव प्रचार अथवा अन्य निर्वाचन कार्य मुख्यतः अपने निर्वाचन अभिकर्ताओं के माध्यम से संपन्न कराते हैं। अतः निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों को उनके ही हित के लिए यह बात अच्छी तरह से समझा दी जानी चाहिए कि वे अपने निर्वाचन अभिकर्ता के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करें, जिसे प्रशासन से सुरक्षा प्राप्त है तथा जिसे अपने मूवमेन्ट के लिए सुरक्षा कर्मियों को साथ रखना पड़ता है। इससे निर्वाचन अभिकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने तथा मतदान एवं मतगणना के दिन अभ्यर्थी के हित में बिना किसी अवरोध/बाधा के घूमने में सहूलियत होगी।

4. कृपया इस पत्र की पर्याप्त प्रतियां अपने स्तर पर तैयार कर सभी निर्वाचन पदाधिकारियों को तुरंत उपलब्ध करा दी जाए तथा उन्हें यह निदेश दिया जाए कि वे नामांकन के समय ही सभी प्रत्याशियों को इसकी प्रति पावती रसीद पर निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एन० एस० माधवन)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 366

/पटना, दिनांक 18 मई, 2009

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी